

सत्र परीक्षण सं०-52 / 2013
ई.फा.नं०-090501025732013
राज्य-----बनाम-----सुखदेव सिंह ।

10-01-2014

पत्रावली पेश की गयी ।

अभियुक्त सुखदेव सिंह मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं ।
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 13ख मय शपथ पत्र प्रस्तुत करके
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.11.2013
की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में शामिल कर, अग्रिम कार्यवाही करने के लिए
निवेदन किया है ।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 482 संख्या-36323 / 2013 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2013 द्वारा इस
वाद की अग्रिम कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश तक
स्थगित की गयी है ।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांकित
22.11.2013 के प्रकाश में प्रस्तुत मुकदमें की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय
के अग्रिम आदेश तक स्थगित की जाती है ।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 11.03.2014 को पेश हो ।
अभियुक्त नियत तिथि को माननीय उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेश के सम्बन्ध
में शपथ पत्र प्रस्तुत करे ।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय कक्ष सं०-5,
रामपुर ।